संख्या– 2 /VI–1/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय
उत्तरांचल देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 10 जनवरी 2006.

विषय :– महारानी अवन्तिबाई लोधी जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–635/स०नि०उ०/चार–83/2005–06, दिनांक– 29 अगस्त, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि रु0 38.00 लाख (रुपये अड़तिस लाख मात्र) में से वित्त विभाग टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि 5.45 लाख (रुपये पांच लाख पैंतालीस हजार मात्र) उक्त प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

vii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

viii) निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-00-102 कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन- आयोजनागत-10-महानुभावों की मूर्ति स्थापना-1091 जिला योजना-25- लघु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-123/वित्त अनु0- 3/2006 दिनांक-06 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या- /VI-I/2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
7. एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
8. बजट राजकोषीय नियोजन अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)